रजिस्ट्री सं०-डी (डी)—73 REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1975 (श्रावण 4, 1897)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1975 (SRAVANA 4, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 30 जून 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 30th June 1975 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. & Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
111.	सं० 48-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 13 जून 1975 No. 48-ITC (PN)/75, dated the 13th June 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	अप्रैल 1975—मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति। Import Policy for the year April 1975—March 1976.
112.	सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-53/75, दिनांक 16 जून 1975 No. Drawback/PN-53/75, dated the 16th June 1975.	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन। Amendments in the table published in Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October 1971.
113.	सं० 50-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 17 जून 1975 No. 50-ITC (PN)/75, dated the 17th June 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	निर्यातकों का विपंजीकरण। Deregistration of Exporters.
114.	सं० 49-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 17 जून 1975 No. 49-ITC (PN)/75, dated the 17th June 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	लाइसेंस अवधि जुलाई 74—जून 75 के दौरान ओमन (मस्कत) से खजूरों [क्रम सं० 21 (बी)/4] का आयात—लाइसेंस की वैधता अवधि में वृद्धि। Import of dates [S. No. 21 (b)/IV] from Oman (Muscat) during July 1975—June 1975 licensing period—Extension in the validity period of licences.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
	सं० 1/14/74-सलाहकार परिषद, दिनांक 19 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	व्यापार सलाहकार परिषद का पुनर्गठन ।
115.	No. 1/14/74-Ad. C., dated the 19th June 1975.	Ministry of Commerce	Reconstitution of Advisory Council on Trade.
	सं० 51-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 23 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से पोलैंड को निर्यात ।
116.	No. 51-ITC (PN)/75, dated the 23rd June 1975.	Ministry of Commerce	Export from India to Poland under the Trade and Payments Agreement.
	सं० 52-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 24 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	सीमा शुल्क द्वारा बद्ध माल गोदाम से कृष्य ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की रिहाई ।
117.	No. 52-ITC (PN)/75, dated the 24th June 1975.	Ministry of Commerce	Release of Spare parts of agricultural tractors from Customs Bonded Warehouse.
	सं० 53 आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 24 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तिका (हैंडबुक) 1975-76—लघु पैमाना उद्योगों की परिभाषा ।
118.	No. 53-ITC (PN)/75, dated the 24th June 1975.	Ministry of Commerce	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76—Definition of Small Scale Industries.
	सं० 54-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 24 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	1975-76 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति—अन्तराष्ट्रीय कीमत पर देशी माल का संभरण ।
119.	No. 54-ITC (PN)/75, dated the 24th June 1975.	Ministry of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for 1975-76—Supply of indigenous materials at international price.
	सं० 55-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 25 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	भारत अफगान व्यापार व्यवस्था, 1974-75 के अधीन प्रति-निर्यात आभारों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा की वृद्धि ।
120.	No. 55-ITC (PN)/75, dated the 25th June 1975.	Ministry of Commerce	Extension of time limit for fulfilment of counter-export obligations under the Indo-Afghan Trade Arrangement, 1974-75.
	सं० 56-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 26 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	रिहाई आदेशों का उपयोग ।
121.	No. 56-ITC (PN)/75, dated the 26th June 1975.	Ministry of Commerce	Utilisation of release orders.
	सं० एफ० 16(1)-पी० डी०/75, दिनांक 30 जून 1975	वित्त मंत्रालय	गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्ष निधि और उपदान निधि से लाभ के लिए एक विशेष जमा योजना ।
122.	No. F. 16(1)-PD/75, dated the 30th June 1975.	Ministry of Finance	Special Deposit Scheme for the benefit of non-Government provident, superannuation and gratuity funds.
	सं० एफ० 12(14)—पी० डी०/75, दिनांक 30 जून 1975	वित्त मंत्रालय	भविष्य निधि, अधिवर्ष निधि और उपदान निधि में पूंजी लगाने की प्रणाली ।
	No. F. 12(14)-PD/75, dated the 30th June 1975.	Ministry of Finance	Investment pattern to be followed by provident funds superannuation funds and gratuity funds.
	सं० 57-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 30 जून 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल 1975—मार्च 1976 के वर्ष के लिए आयात नीति ।
123.	No. 57-ITC (PN)/75, dated the 30th June 1975.	Ministry of Commerce	Import Policy for the year April 1975—March 1976.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	515
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1117
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	957
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2007
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियो द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2617
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	381
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6065
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	473
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1471
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	123

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	515
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1117
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	957
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2007
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2617
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	381
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	6065
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .	473
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1471
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	123

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर विषयों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

(Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1975

सं० 81-प्रेज/75—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री स्वर्ण सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल स० 1210,
अमृतसर जिला,
पंजाब।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

प्यारा सिंह नाम का एक व्यक्ति को मकबूलपुरा के बिशन सिंह के विरुद्ध दुश्मनी थी कि उसने बिना लाइसेंस की एक रिवाल्वर, जिसे पुलिस ने उससे बरामद किया था, रखने के बारे में पुलिस को सूचना दी थी। इस शत्रुता के कारण प्यारा सिंह ने अपने चार साथियों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर 3 मार्च, 1974 को बिशन सिंह पर कातिलाना हमला किया। कास्टेबल स्वर्ण सिंह ने जो उस इलाके में रहते थे, और अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, देखा कि हमला करने वाले बिशन सिंह को कत्ल करने वाले हैं। बिशन सिंह को बचाने के लिये वे फौरन आगे कूदे और हमला करने वालो को पकड़ने का प्रयास किया। सभी ने उन पर हमला किया और उनकी वही मृत्यु हो गई।

श्री स्वर्ण सिंह ने उत्कृष्ट साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और एक निर्दोष नागरिक पर कातिलाना हमले को रोकते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 3 मार्च, 1974 से दिया जाएगा।

सं० 82-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री एम० पी० नायानायल,
पुलिस उप-अधीक्षक,
10वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।
श्री गुमान सिंह,
कास्टेबल सं० 65010192,
10वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।
श्री ओम प्रकाश,
कांस्टेबल सं० 65010209,
10वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10/11 नवम्बर, 1974 की रात्रि को, सशस्त्र विरोधियों को, जो मणिपुर के तामेन्गलोंग गाव में देखे गये थे, पकड़ने के लिए श्री एम० पी० नायानायन के कमान्ड में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की तीन टुकड़िया तैनात की गई थीं। जब विरोधियों को तलाश करने के लिए श्री एम० पी० नायानायल के नेतृत्व मे एक टुकड़ी ने तामेन्गलोंग गाव मे प्रवेश किया, तो विरोधियों ने उन पर गोली चला दी। श्री नायानायल ने जवाब में गोली चलाई किन्तु उनको दोनों टांगों में गोली से चोट आई और वे जमीन पर गिर पड़े। गम्भीर चोटो के बावजूद वे विरोधियों पर गोली चलाते रहे और अपने दल को कहा कि आक्रमण करते रहें।

श्री नायानायल को गिरते देख श्री गुमान सिंह ने अपनी जान पर भारी खतरे की परवाह न करते हुए स्थिति संभाली और अपनी हलकी मशीन गन से गोलियां चलाई और एक विरोधी को मौत के घाट उतार दिया।

इस बीच श्री ओम प्रकाश जो इस दल में थे, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए उस जगह को दौड़े जहा श्री नायानायल घायल पड़े थे और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब वे ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने एक विरोधी को श्री नायानायल और अपने पर गोली क

निशाना लगाते देखा। सूझबूझ और तुरन्त प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने उस विरोधी पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया और इस तरह अपनी और अपने अफसर की जान बचा ली।

इसके बाद, विरोधियों का सफाया करने के लिए की गई कार्यवाही में, हथियार और गोलाबारुद सहित चार विरोधियों को गिरफ्तार किया गया।

इस मुठभेड़ मे श्री एम० पी० नाथानायल, श्री गुमान सिह और श्री ओम प्रकाश ने असाधारण साहस और वीरता तथा उत्कृष्ट कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री गुमान सिह तथा श्री ओम प्रकाश को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता दिनांक 11 नवम्बर, 1975 से दिया जाएगा और श्री एम० पी० नाथानायल को विशेष स्वीकृत भत्ता 1 दिसम्बर, 1974 से दिया जाएगा।

सं० 83–प्रेज/75––राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारीयों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शम्भूनाथ पाण्डेय,
हैड कांस्टेबल सं० 60010109,
10 वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।
श्री टी० वाई० ऐसो,
कांस्टेबल सं० 68037091,
10वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10/11 नवम्बर, 1974 की रात्रि को पुलिस उप-अधीक्षक श्री एम० पी० नाथानायल की कमान में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की तीन टुकड़ियां, सशस्त्र विरोधियों को जो मणिपुर के तामेन्गलोंग गांव में देखे गये थे, पकड़ने के लिये तैनात की गई थीं। श्री एम० पी० नाथानायल के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने विरोधियों को ढूंढने के लिये गांव में प्रवेश किया। जब विरोधियों को केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की टुकड़ियों को गतिविधि का पता लगा, तो उन्होंने गोली चला दी। श्री नाथानायल ने जवाब में गोली चलाई किन्तु उनकी दोनों टांगों में गोली लगी और वे गिर पड़े। कुछ गोलीबारी के बाद विरोधियों ने गोलीबारी की आड में निकट के घने जंगल में बचकर भाग निकलने का प्रयत्न किया। पीछा करने पर, भागते हुए विरोधियों में से एक ने श्री टी० वाई० ऐसो पर गोली चला दी। किन्तु, अपने जीवन को भारी खतरा होते हुए श्री ऐसो विरोधी को वश में करने में सफल हो गए।

श्री शम्भूनाथ पाण्डेय पर भी विरोधियों ने गोलियों की बोछार की। अपने जीवन को खतरे के बावजूद वे विरोधियो का पीछा करते रहे और एक विरोधी को पकड़ने मे सफल हुए।

विरोधियों के साथ मुठभेड़ में श्री शम्भूनाथ पाण्डेय और श्री टी० वाई० ऐसो ने उच्च कोटि के साहस तथा शौर्य का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर, 1974 से दिया जायेगा।

सं० 84–प्रेज़/75––राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेन्द्र नारायण सिह,
सारजेन्ट,
मुजफ्फरपुर जिला,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री सुरेन्द्र नारायण सिह, पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में भेजे गये उस पुलिस दल के सदस्य थे जो उन उग्रपंथियों को पकड़ने के लिये भेजा गया था जिन्होने शेरपुर गांव में डकैती डालने तथा हत्या करने की योजना बनाई थी। जब उग्रपंथियों को पुलिस दल ने घेर लिया तो उन्होंने उस पर बम फैंके और गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी गोली चलाई और इस मुठभेड़ में एक उग्रपंथी मारा गया किन्तु अन्य बचकर भाग निकले।

उपर्युक्त मुठभेड़ के कुछ समय बाद श्री सुरेन्द्र नारायण सिह को एक अन्य अधिकारी के साथ एक कठिन काम सौंपा गया जिसे उन्होंने अपने जीवन को भारी खतरे मे डाल कर सरइंजाम दिया।

2 अगस्त, 1972 को श्री सुरेन्द्र नारायण सिह को श्रीपति महतो नामक एक उग्रपंथी को पकड़ने के लिए जो डकैती, हत्या, लूट आदि के लगभग एक दर्जन मामलों से संबद्ध था, एक छापामार दल में नियुक्त किया गया। पुलिस दल ने उग्रपंथियों के लिए घात लगाई किन्तु उन्हें संदेह हो गया और वे बच कर भाग निकले। फिर श्री सुरेन्द्र नारायण सिह अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ गांव केशोपुर की ओर बढ़े जहां उग्रपंथियों ने डकैती डालने तथा हत्या करने के लिए एकत्र होने की योजना बनाई थी। पुलिस दल श्री पति महतो को पकड़ने में सफल हुआ। जब पुलिस दल उसे राजमार्ग से सकरा थाने ले जा रहा था तो लगभग 20/25 उग्रपंथियों ने पकड़े हुए उग्रपंथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर आक्रमण कर दिया। उग्रपंथियों ने पुलिस पर गोली चला दी। श्रीपति महतो पुलिस वालों की पकड़ से छूट

गया। हालांकि उग्रपंथी संख्या में अधिक थे फिर भी पुलिस कर्मचारियों ने साहस नहीं खोया और उन्होंने जवाब में गोलियां चलाई। मुठभेड़ में श्रीपति महतो मारा गया और उसके कुछ सहयोगी घायल हो गये। एक पाइप गन, और 12 बोर के कुछ खाली तथा भरे हुये कारतूस बरामद किय गये।

समस्त कार्यवाही मे श्री सुरेन्द्र नारायण सिह ने उत्कृष्ट साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अगस्त, 1972 से दिया जाएगा।

कृ० बालचन्द्रन,
राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मन्त्रालय
राजस्व और बीमा विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1975

विषय:—सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) के अधीन मूल्यांककों की नियुक्ति।

सं० 300/355/74-सं० शु०—सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) के अधीन मूल्यांककों की नियुक्ति के बारे में इस मन्त्रालय द्वारा जारी की गई सभी पूर्व सूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रवर्गों की आस्तियों के लिए व्यक्तियों को सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) के अधीन मूल्यांकक नियुक्त करने तथा उनके पारिश्रमिक के लिए प्रभारमान नियत करने के लिए नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है।

2. मूल्यांककों के रूप में नियुक्त किए जाने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इस सूचना के उपाबन्ध I में वर्णित शर्तों की पूर्ति की जाना आवश्यक है तथा नियुक्ति के लिए उन्हें उपाबन्ध II में विहित प्ररूप में आवेदन करना चाहिए।

3. कोई व्यक्ति कलाकृतियों के मूल्यांकक से भिन्न किसी मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह सरकार या किसी अन्य नियोजक के अधीन नियोजित है।

4. कोई व्यक्ति मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा यदि—

(क) वह सरकारी सेवा से पदच्युत किया या हटाया गया है; या

(ख) वह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के अधीन किसी कार्यवाही से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 की उप धारा (1) के खण्ड (iii) या धारा 273 के खण्ड (i) के अधीन या धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) या दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन उस पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है; या

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(घ) वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और किसी अवधि के कारावास से दण्डादेशित किया गया है या अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी पाया गया है जो केन्द्रीय सरकार की राय में मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए उसे अयोग्य बना देता है।

5. उपाबंध I में अधिकथित इस अपेक्षा की कि आवेदक ने पांच वर्ष से अनधिक की अवधि तक,—

(i) किसी भी हैसियत में सेवा की हो, या

(ii) कोई विषय पढ़ाया हो, या

(iii) किसी वृत्ति का व्यवसाय किया हो, या

(iv) किसी अन्य हैसियत या क्षेत्र में जो उसमें विनिर्दिष्ट है, अनुभव प्राप्त किया हो,

पूर्ति हो गई समझी जाएगी, यदि वह अवधि जिसके लिए आवेदक ने ऐसी सेवा की है, ऐसा विषय पढ़ाया है, ऐसी वृत्ति का व्यवसाय किया है या अन्यथा ऐसी अन्य हैसियत या क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, या तो अकेले ही या सामूहिक रूप से पांच वर्ष से कम नहीं है और केन्द्रीय सरकार की राय है कि आवेदक ने उस वर्ग की आस्तियों के जिसके लिए वह मूल्यांकक के रूप में अनुमोदित होना चाहता है, मूल्यांकन में पर्याप्त अनुभव अर्जित कर लिया है।

6. मूल्यांकक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसों का मापमान नीचे की मद (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किसी आस्ति के मूल्यांकन के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें, निम्नलिखित दरों पर परिकलित रकम से अधिक नहीं होंगी, अर्थात् :—

(1) यथामूल्यांकित आस्ति के प्रथम 50,000 रुपए पर	मूल्य का 1/2 प्रतिशत
यथा मूल्यांकित आस्ति के अगले एक लाख रुपए पर	मूल्य का 1/4 प्रतिशत
यथामूल्यांकित आस्ति के अतिशेष पर	मूल्य का 1/8 प्रतिशत

(2) जहां किसी अनुमोदित मूल्यांकन से निर्धारिती के अनुरोध पर दो या अधिक आस्तियों का मूल्यांकन किए जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसी सभी आस्तियों को ऐसे अनुमोदित

मूल्यांकक को संदेय फीसो के परिकलन के प्रयोजनो के लिए एकल आस्ति गठित करने वाला समझा जाएगा।

(3) जहां उपनियम (1) और (2) के अनुसार परिकलित फीस की राशि पचास रुपए कम है, वहां अनुमोदित मूल्यांकक अपनी फीस के रूप में पचास रुपए प्रभारित कर सकेगा।

वी० डी० वाखरकर,
अवर सचिव

उपाबंध I

1. स्थावर सम्पत्ति (कृषि भूमियों, बागानों, वनों, खानों और खदानों से भिन्न) के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात् :—

(i) उसे या तो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का सिविल इंजीनियरी, स्थापत्य कला या नगरयोजना का स्नातक होना चाहिए या उसके पास ऐसी अर्हता होनी चाहिए जिसे केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों और सेवाओं के लिए भर्ती के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अर्हता के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) (का) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले—

(क) सरकार के अधीन किसी पद पर राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियोजित हो, या

(ख) किसी अन्य नियोजक के अधीन ऐसे पद पर नियोजित हो जिसका पारिश्रमिक एक हजार रुपए प्रतिमास से कम न हो,

तथा दोनों में से प्रत्येक दशा में, वह मूल्यांकक, स्थापत्यविद् नगर योजनाकार के रूप में अथवा भवनों के सन्निर्माण, निर्मितयो के अभिकल्पन या भूमि के विकास के क्षेत्र में पांच वर्ष से अन्यून की सेवा करने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो गया है या उसमे ऐसे नियोजन से पदत्याग कर दिया हो, अथवा

(ग) सिविल इंजीनियरी, स्थापत्यकला या नगर-योजना में उपाधि या खंड (i) मे निर्दिष्ट समतुल्य अर्हता के लिए छात्रो को तैयार करने वाले किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य संस्था में प्राचार्य, रीडर या व्याख्याता के रूप में नियोजित हो तथा मूल्यांकन, परिमाण सर्वेक्षण, भवन सन्निर्माण, स्थापत्यकला या नगरयोजना के विषयों मे से किसी की पांच वर्ष से अन्यून पर्यन्त शिक्षा देने के पश्चात् सेवा निवृत्त हो गया हो या एसे नियोजन से पदत्याग कर दिया हो; अथवा

(ख) परामर्शी इंजीनियर, सर्वेक्षक या स्थापत्यविद् के रूप में पांच वर्ष से अन्यून की अवधि तक व्यवसायरत् रहा हो तथा उसने केन्द्रीय सरकार की राय में, निम्नलिखित क्षेत्रो में से किसी में पर्याप्त अनुभव अर्जित कर लिया हो;

(क) भवनों और नगरीय भमियो का मूल्यांकन;

(ख) भवन सन्निर्माण का परिमाण सर्वेक्षण,

(ग) भवनों या नगर योजना का स्थापत्य परख या संरचनात्मक अभिकल्पन; या

(घ) भवनो का सन्निर्माण या भूमि का विकास।

(2) कृषि भूमियो [उप-नियम (3) मे निर्दिष्ट बागानों से भिन्न] के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होगी, अर्थात:—

(i) उसे किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान का स्नातक होना चाहिए तथा उसने खेत मूल्यांकक के रूप मे पाच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त कार्य किया हो; अथवा

(ii) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले कलक्टर, उप-कलक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भू-अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार अथवा समरूप कृत्यो का पालन करने वाले समतुल्य पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी के रूप में सरकार के अधीन किसी पद पर नियोजित रहा हो और जो पूर्वोक्त पदों मे से किसी एक या अधिक पदों पर पांच वर्ष से अन्यून की कुल अवधि पर्यन्त सेवा करने के पश्चात ऐसे नियोजन से सेवानिवृत्त हुआ हो या जिसने पदत्याग किया हो।

(3) यथास्थिति कॉफी बागान, चाय बागान, रबड़ बागान या इलायची बागान के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात :—

(i) वह पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त यथास्थिति किसी कॉफी, चाय, रबड या इलायची बागान का स्वामी रहा हो या उसने उसके प्रबन्धक के रूप में कार्य किया हो तथा इलायची बागान की दशा में, चार हैक्टेयर से अन्यून क्षेत्रफल रोपणाधीन हो अथवा किसी अन्य बागान की दशा मे 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल रोपणाधीन हो;

(2) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले कलक्टर, उप-कलक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार अथवा समरूप कृत्यों का पालन करने वाले समतुल्य पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी के रूप में सरकार के अधीन किसी पद पर नियोजित रहा हो और जो पूर्वोक्त पदो मे किसी एक या अधिक पदों पर पांच वर्ष से अन्यून की कुल अवधि पर्यन्त सेवा करने के पश्चात ऐसे नियोजन से सेवा-निवृत्त हुआ हो या जिसने पदत्याग किया हो, जिस में से तीन वर्ष से अन्यून ऐसे क्षेत्रों मे रहा हो जिन मे यथास्थिति कॉफी, चाय, रबड़, या इलायची व्यापक रूप से उगाई जाती है।

(4) वनों का मूल्यांकक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले सरकार के अधीन किसी पद पर नियोजित रहा हो तथा जो वन विद्या में विशेषज्ञीय विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा करने वाले किसी राजपत्रित पद पर पांच वर्ष से अन्यून सेवा करने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हुआ हो या जिसने ऐसे नियोजन से पदत्याग किया हो ।

(5) खानों और खदानों के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात :—

(i) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का खनन का स्नातक होना चाहिए अथवा उसके पास ऐसी अर्हता होनी चाहिए जो भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों और सेवाओं के लिए भर्ती के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अर्हता के रूप में मान्य हो; और

(ii) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले—

(क) सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारी के रूप मे किसी पद पर नियोजित रहा हो, अथवा

(ख) किसी अन्य नियोजक के अधीन ऐसे पद पर नियोजित रहा हो जिसका पारिश्रमिक 1,000 रुपए प्रतिमास से अन्यून रहा हो;

तथा दोनों में से प्रत्येक दशा में वह खनन इंजीनियर के रूप में पांच वर्ष से अन्यून पर्यन्त सेवा करने के पश्चात सेवा-निवृत्त हुआ हो जिसने या ऐसे नियोजन से पद त्याग किया हो ।

(6) स्टाक, शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों भागीदारी फर्मों में शेयरों के तथा गुडविल सहित कारबार की आस्तियों के, जिन में उपखण्ड (1) से (5) और (7) से (10) में निर्दिष्ट आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं, मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात:—

(i) वह भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान या भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्य होना चाहिए; तथा

(ii) (क) वह चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत और संकर्म लेखापाल के रूप में 5 वर्ष से अन्यून की अवधि पर्यन्त व्यवसायरत रहा हो; या

(ख) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पहले—

(क) सरकार के अधीन किसी पद पर राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियोजित रहा हो, या

(ख) किसी अन्य नियोजक के अधीन ऐसे पद पर नियोजित रहा हो जिसका पारिश्रमिक 1,000 रु० प्रतिमास से अन्यून हो, अथवा

(ग) ऐसे पद पर कम्पनी सचिव या सहायक कम्पनी सचिव के रूप में नियोजित रहा हो जिसका पारिश्रमिक 1,000 रुपए प्रतिमास से अन्यून हो तथा पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त सेवा करने के पश्चात सेवा-निवृत्त हुआ हो या जिसने ऐसे नियोजन से पदत्याग किया हो;

तथा दोनों में से प्रत्येक दशा में वह संपरीक्षा और लेखा या कराधान कार्य के क्षेत्र में पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त सेवा करने के पश्चात सेवा-निवृत्त हुआ हो या उसने ऐसे नियोजन से पदत्याग किया हो ।

(7) मशीनरी और सयन्त्र के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए अर्थात :—

(i) उसे या तो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्युत इंजीनियरी का स्नातक होना चाहिए, या उसके पास ऐसी अर्हता होनी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों और सेवाओं पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अर्हता मानी गई है, तथा

(का) वह ऐसा व्यक्ति होनी चाहिए जो पहले,

(क) सरकार के अधीन किसी पद पर राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियोजित रहा हो, या

(ख) किसी अन्य नियोजक के अधीन ऐसे पद पर नियोजित रहा हो जिसका पारिश्रमिक 1,000 रुपए प्रतिमास से अन्यून है, तथा दोनों में से प्रत्येक दशा में वह यांत्रिक इंजीनियर या वैद्युत इंजीनियर के रूप में पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त सेवा करने के पश्चात सेवा-निवृत्त हो या उसने ऐसे नियोजन से पदत्याग किया हो, या

(ग) यांत्रिक या वैद्युत इंजीनियरी की उपाधि के लिए या खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी समतुल्य अर्हता के लिए छात्रों को तैयार करने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था में आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक के रूप में नियोजित रहा हो और पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त अध्यापन करने के पश्चात सेवा-निवृत्त हुआ हो या उसने ऐसे नियोजन से पदत्याग किया हो; या

(खा) वह पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त परामर्शी इंजीनियर के रूप में वृत्ति करता रहा हो तथा उसने केन्द्रीय सरकार की राय में मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में पर्याप्त अनुभव अर्जित किया हो ।

(8) जवाहरात का मूल्यांकक, जवाहरात का कारबार करने वाली ऐसी भागीदारी फर्म का, पांच वर्ष से अन्यून की अवधि पर्यन्त एक मात्र स्वत्वधारी या भागीदार रहा हो, जिसका उस वर्ष से जिसमें उसके द्वारा मूल्यांकक के रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती तीन लेखा वर्षों में से दो मे एक लाख से अन्यून का व्यापारावर्त या 15,000 रुपए से अन्यून लाभ हुए हों ।

(9) कलाकृतियों के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात्

(i) उसने उन कृतियों के लिये जिनके मूल्यांकक के रूप में वह अपना रजिष्ट्रीकरण कराना चाहता है, कला की उस विशिष्ट शैली में अपने शैक्षिक और वृत्तिक काम काज के आधार पर विशेषज्ञता प्राप्त कर ली हो; तथा

(ii) उसने निम्नलिखित हैसियतों में से किसी एक या अधिक में सेवा की हो, अर्थात् :—

(क) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का महा निदेशक या अधीक्षक पुरातत्वज्ञ;

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय, मुम्बई, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता, मद्रास संग्रहालय, मद्रास, या भारत कला भवन, वाराणसी का निदेशक;

(ग) किसी सरकारी कला विद्यालय का प्रधानाचार्य;

(घ) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी संग्रहालय की या ललितकला अकादमी की कलाकृति क्रय समिति का सदस्य;

(10) आजीवन हित, उत्तरभोग तथा आशंसा में हित के मूल्यांकक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात् :—

(i) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए :—

(ii) (क) वह बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन बीमांकक के रूप में पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त वृत्ति करता रहा हो, या

(ख) उस में सरकार के अधीन या जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम में पांच वर्ष से अन्यून अवधि पर्यन्त बीमांकक के रूप में निरन्तर सेवा की हो, या

(ग) वह सरकार के अधीन या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम में पांच वर्ष से अन्यून की कुल अवधि पर्यन्त, बीमांकक के रूप में वृत्ति करता रहा हो या उसने उसमें सेवा की हो।

उपाबन्ध II

आवेदन का प्ररूप

सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) के अधीन मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

नई दिल्ली।

महोदय,

मैं सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) के अधीन .....

.....

(आस्तियों का वर्ग)

के मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करता हूं। निम्नलिखित विशिष्टियां इसके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं :—

1. पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता
   (i) कार्यालय
   (ii) निवास
5. आयकर की स्थायी लेखा संख्या
6. जन्म तारीख
7. शैक्षिक अर्हताएं जिनके अन्तर्गत वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएं भी आती हैं (डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न कीजिए)।
8. यदि किसी वृत्तिक या तकनीकी संस्था का सदस्य है तो उसकी विशिष्टियां दीजिए।
9. वर्तमान उपजीविका और वह कब से है।
   (ख) यदि किसी फर्म के भागीदार हो तो फर्म का नाम, पता और कारबार/वृत्ति (भागीदारी में सम्मिलित होने की तारीख उपदर्शित की जानी चाहिए)
10. यदि मूल्यांकक की वृत्ति या आजीविका में पहले ही संलग्न है तो क्या—
    (क) अपनी ही ओर से (कब से)
    (ख) अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदारी में (अन्य भागीदारों का नाम और

पता दीजिए) (भागीदारी में सम्मिलित होने की तारीख उपदर्शित की जानी चाहिए) ।

11. मूल्यांकक के व्यवसाय के प्रारम्भ की तारीख

12 (क) अपने अनुभव के पूरे ब्यौरे दीजिए जो मूल्यांकक के रूप में नियुक्ति के लिए आपको अर्हित करते हैं (दस्तावेजी साक्ष्य दिया जाना चाहिए)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मूल्यांकित आस्तियों या निष्पादित कार्यों की सूची संलग्न की जानी चाहिए ।

13. क्या आप धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 34क(ख) के अधीन मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किए गए हैं ? यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण सं०, फाइल सं० और तारीख दीजिए ।

14. तीन व्यक्तियों के (जो आपके संबंधी या कारबार के भागीदार न हों) जिनके साथ आप गत पांच वर्षों में नियमित संपर्क बनाए रहे हैं (जिनमें से एक अधिमान्यता कोई मूल्यांकक होना चाहिए) और जिससे, अपनी ख्याति और चरित्र के बारे में पूछताछ के लिए आप बोर्ड को प्राधिकृत करते हैं, नाम, उपजीविका और पता ।

15. (क) बताइए कि आयकर, धनकर या दानकर लेखे कोई दायित्व आप पर बकाया तो नहीं है ।

(ख) यदि है तो क्या उसके संदाय के लिए समाधानप्रद प्रबन्ध करा दिया गया है ।

(ग) संबंधित आयकर अधिकारी से आयकर बेबाकी पत्र संलग्न कीजिए ।

16. क्या आप किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए और किसी अवधि के कारावास के लिए दण्डित किए गए हैं ? यदि हां तो अपराध और दण्डादेश के ब्यौरे दीजिए ।

17. क्या आप अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार के दोषी पाए गए हैं ? यदि हां तो ब्यौरे दीजिए ।

मैं घोषित करता हूं कि मैं अधिसूचना सं० 300/355/74-सं० शुल्क तारीख-1-8-75 के उपनियम (4) के खण्ड (क) से (ग) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के कारण नियुक्ति के लिए आवेदन करने से निरर्हित नहीं हूं ।

मैं आगे घोषित करता हूं कि मैं—

(क) किसी ऐसी अस्ति का जिसका मूल्यांकन करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्पक्ष और सही मूल्यांकन करूंगा;

(ख) ऐसे मूल्यांकन की विहित प्ररूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा;

(ग) उस दर पर फीस प्रभारित करूंगा जो उस दर या उन दरों से अधिक नहीं है जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विहित की गई है; और

(घ) किसी ऐसी आस्ति का जिसमें मेरा प्रत्यक्ष या परोक्षहित है कोई मूल्यांकन ग्रहण नहीं करूंगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं,....., घोषणा करता हूं:— (नाम मोटे अक्षरों में)

(i) कि उपर्युक्त आवेदन में जो कथन किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, तथा

(ii) इसके साथ भेजी गई प्रतिलिपियां सही प्रतिलिपियां हैं ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

संलग्नकों की सूची

1.

2.

3.

4.

5.

आदि

टिप्पण —

*(1) कृपया राजपत्र अधिसूचना सं०.....तारीख .....देखिए ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1975

संकल्प

सं० 2(12)/74-सामग्री/सा० तथा वि० मु०—सीमेंट की अत्यधिक तथा बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा काफी समय से निर्माण-कार्यों में चूने के इस्तेमाल की संभावना के प्रश्न की जांच करने पर विचार किया जाता रहा है। भारत सरकार ने सीमेंट के प्रयोग में किफायत की समस्या का विस्तार से अध्ययन करने के उद्देश्य से एक समिति गठन करने का निर्णय लिया है जो निम्न प्रकार होगी :—

1. सदस्य (अभि० और अनु०), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. मुख्य अभियंता (बा० अ० तथा त्रिशूली), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3. निदेशक, सीमेंट अनुसंधान संस्थान, एम-10, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-दो, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ।	सदस्य
4. श्री एन० मेकेडो, प्रबन्ध निदेशक, डायर्स स्टोन लाइम कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, 10, अलीपुर रोड, दिल्ली अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ।	सदस्य
5. श्री एस० बी० कापरीहन, मुख्य अभियंता (सि०), मध्य प्रदेश अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ।	सदस्य
6. श्री एस० बी० खरे, अपर मुख्य अभियंता, शारदा सहायक परियोजना, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ।	सदस्य
7. श्री हरबंस सिंह, मुख्य अभियंता (परियोजना), पंजाब अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ।	सदस्य
8. निदेशक, केन्द्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

2. समिति विभिन्न सामग्रियों का अध्ययन और जांच करेगी तथा इस्तेमाल के लिए संस्तावित किए जाने वाली सामग्रियों के उत्पादन, उपलब्धता तथा आर्थिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए सिंचाई परियोजनाओं में सीमेंट के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकने वाली विभिन्न सामग्रियों का सुझाव देगी ।

3. समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-एक, खण्ड-एक में प्रकाशित कर दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा इस समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेज दी जाए ।

ओम प्रकाश चड्ढा,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1975

संकल्प

सं० 7/3/75-फ० ब० प०—फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 7/3/73-फ० ब० प०, दिनांक 14 फरवरी, 1975 में आंशिक संशोधन करते हुए, इन्दराज संख्या 8 और 12 के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किए जाये ।

"8. अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन ट्रस्ट	सदस्य
12. विकास सलाहकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	सदस्य"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प, पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार के मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग को भेज दिया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये तथा पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया जाये कि इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

संकल्प

सं० 7/3/73-फ० ब० प०—फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड की स्थायी समिति के पुनर्गठन के संबंध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 7/3/73-फ० ब० प० दिनांक 17 मार्च, 1975 में आंशिक संशोधन करते हुए इन्दराज संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाये :—

"3. अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन ट्रस्ट	सदस्य"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार के मंत्रालयो, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग को भेज दिया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये तथा पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया जाये कि इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

सत्येन्द्र नाथ गुप्ता,
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 जून 1975

परिशिष्ट

सं० 19-2/74-एस० डी०—इस विभाग के सकल्प संख्या 19-2/74-एस० डी० दिनांक 21 नवम्बर, 1974 के आंशिक संशोधन में उसके पैरा I में जो कि केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की संरचना के बारे मे है, निम्नलिखित योग किए जाते हैं :—

21. क. मद्यनिषेध के कार्याभरी मंत्री, सिक्किम, गगटोक।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस परिशिष्ट की एक-एक प्रति केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति के सभी सदस्यों भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, ससदीय कार्य विभाग, अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये।

टी० सू० ना० स्वामी,
अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून, 1975

सं० 23/14/74-एल० आई०—राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक जीवन बीमा और सविधि बीमा संबंधी नियमों में यथा शीघ्र निम्नलिखित संशोधन किए जाने के निदेश देते हैं, अर्थात् :—

कथित नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत नोट 3 में उल्लिखित "रु० 2000/-" की सख्या और संक्षेप के स्थान पर "रु० 4000/-" की संख्या और संक्षेप प्रतिस्थापित किया जाए।

आर० एन० डे,
निदेशक
डाक जीवन बीमा

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1975

संकल्प

सं० हिन्दी/73/जी०-28/2—रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से सम्बन्धित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 25-7-1974 के संकल्प स० हिन्दी/73/जी०-28/2 मे आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा उक्त समिति के गठन पूर्व व्याप्ति की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय करती है :—

(क) क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित "श्री भीष्म देव, सदस्य, लोक सभा" का नाम "श्री एम० भीष्म देव, सदस्य, लोक सभा" पढ़ा जाए।

(ख) क्रम स० 21 पर उल्लिखित श्री मन्नू लाल द्विवेदी, भूतपूर्व संसद् सदस्य का पता, "9, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली" से बदल कर "सी/18, नार्थ टी० टी० नगर, भोपाल (म० प्र०)" कर दिया जाये।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाये।

पुरुषोत्तम लाल,
संयुक्त सचिव
रेलवे बोर्ड

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जून 1975

सं० क्यू० 16011/1/72-डब्ल्यू० ई०—भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड I, दिनांक 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी० 4 (24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 मे, जो अधिसूचना संख्या क्यू०-16011/3/71-डब्ल्यू० ई०, दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के साथ पढ़ी गई, जैसी कि अधिसूचना संख्या क्यू०-16011/1/72-डब्ल्यू० ई०, दिनांक 22 सितम्बर, 1972 द्वारा संशोधित की गई

"श्री नि० प्र० दुबे, अपर सचिव"

शब्द

"श्री नि० प्र० दुबे, सचिव" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

स० क्यू०-16011/2/75-डब्ल्यू० ई०—श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० ई० एण्ड पी० 4 (24)/58 दिनाक 12 दिसम्बर,

1958 में, जैसी कि उनकी अधिसूचना संख्या डब्ल्यू० ई०-4/1/36/66, दिनांक 26 दिसम्बर, 1967 द्वारा संशोधित की गई है,

"10. श्री बी० एम० सेठी,
वरिष्ठ सहायक सचिव,
अखिल भारत औद्योगिक
नियोजक संगठन,
फ़ेडरेशन हाउस,
नई दिल्ली।"

के लिए

"10. श्री बी० एम० सेठी,
सचिव,
अखिल भारत नियोजक संगठन,
फेडरेशन हाउस,
नई दिल्ली।"

प्रतिस्थापित कीजिए।

दिनांक 7 जुलाई 1975

स० क्यू०-16011/1/74-डब्ल्यू० ई०—भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1, दिनांक 20 दिसम्बर, 1958 में प्रकाशित इस से पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी०-4 (24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958, जैसी कि श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०-16011/1/74-डब्ल्यू० ई०, दिनांक 2 जनवरी, 1975 द्वारा संशोधित की गई थी, म

"6. श्री रामचन्द्र पात्रा,
सचिव,
उड़ीसा सरकार,
श्रम नियोजन और आवास विभाग,
भुवनेश्वर।"

शब्दों और अंकों को

"6. श्री सोवन कानूनगो,
भा० प्र० से०,
सचिव,
उड़ीसा सरकार,
श्रम, नियोजन और आवास विभाग,
भुवनेश्वर।"

शब्दों और अंकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

जे० सी० सक्सेना
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th July 1975

No. 81-Pres./75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Swaran Singh, (*Deceased*)
Constable No. 1210,
Amritsar District,
Police :—

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED

One Piara Singh had some grievance against Bishan Singh of Maqboolpura for having informed the police about the possession of an unlicenced revolver which had been recovered from him by the Police. On account of this enemity, Piara Singh along with four associates armed with lethal weapons made a murderous assault on Bishan Singh on 3rd March, 1974. Constable Swaran Singh who was living in the locality and was on way to his normal duties, noticed that the assailants were going to make a murderous assault on Bishan Singh. He immediately, in a bid to save Bishan Singh. leaped forward and tried to apprehend the assailants. All of them attacked him and he died on the scot.

Shri Swaran Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty and laid down his life while attempting to prevent a murderous assault on an innocent citizen.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5. with effect from the 3rd March, 1974.

No. 82-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and ranks of the officers

Shri M. P. Nathanael,
Deputy Superintendent of Police,
10th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Guman Singh,
Constable No. 65010192,
10th Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri Om Prakash,
Constable No. 65010209,
10th Battalion,
Central Reserve Police Force

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED.

On the night of 10/11th November, 1974, three detachments of the Central Reserve Police Force were detailed under the command of Shri M. P. Nathanael, Deputy Superintendent of Police to apprehend some armed hostiles who were seen in the Tamenglong village of Manipur. When one of the detachments led by Shri M. P. Nathanael entered Tamenglong village to search out the hostiles, they were fired upon by the hostiles. Shri Nathanael returned the fire but sustained bullet injuries in both legs and fell down. Inspite of the serious injuries, he kept on firing on the hostiles and urged his group to maintain the charge.

Seeing Shri Nathanael falling down, Shri Guman Singh regardless of the personal risk to himself took up the position and fired with his L.M.G. and killed one of the hostiles.

Meanwhile Shri Om Prakash who was also in the detachment, in utter disregard of his safety rushed to the place where Shri Nathanael was lying wounded and evacuated him to a place of safety. While he was so doing he was a hostile aiming at him and Shri Nathanael. Showing presence of mind and quick reflexes, he fired at the hostile injuring him, and thus saved his own life and that of his officer.

In the mopping up operations that followed the Police Party were able to capture 4 top ranking hostiles along with their arms and ammunitions.

In this encounter Shri M. P. Nathanael, Shri Guman Singh and Shri Om Prakash exhibited exceptional courage, gallantry and conspicuous devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently in the case of Shri Guman Singh and Shri Om Prakash the award carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th November, 1974, and in the case of Shri M. P. Nathanael, the award will carry the special allowance with effect from the 1st of December, 1974.

No. 83-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and ranks of the officers

Shri Shambunath Pandey,
Head Constable No. 60010109,
10th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri T. Y. Esso,
Constable No. 68037091,
10th Battalion,
Central Reserve Police Force.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED.

On the night of 10/11th November, 1974, three detachments of the Central Reserve Police Force were detailed under the command of Shri M. P. Nathanael, Deputy Superintendent of Police to apprehend some armed hostiles who were seen in the Tamenglong village of Manipur. One of the detachments led by Shri M. P. Nathanael entered the village to search out the hostiles. When hostiles came to know of the movement of the Central Reserve Police Force detachments, they opened fire. Shri Nathanael returned the fire but sustained bullet injuries in both the legs and fell down. After some exchange of fire, the hostiles tried to escape into the adjoining thick forest under the cover of fire. On being chased, one of the fleeing hostiles fired upon Shri T. Y. Esso. At great personal risk Shri Esso was, however, able to overpower the hostile.

Shri Shambunath Pandey also came under the fire of the hostiles. Inspite of great personal risk he continued chasing the hostiles and was able to apprehend one hostile.

In this encounter with the hostiles Shri Shamburath Pandey and Shri T. Y. Esso showed a high degree of courage and bravery.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th November, 1974.

No. 84-Pres./75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police —

Name and rank of the officer

Shri Surendra Narain Singh,
Sergeant,
Muzaffarpur District,
Bihar.

STATEMENT OF SERVICES FOR WHICH THE DECORATION HAS BEEN AWARDED.

Shri Surendra Narain Singh was a member of a Police party led by the Superintendent of Police, Muzaffarpur to apprehend some extremists who had planned to commit dacoity and murder in village Sherpur. When the extremists were surrounded by the Police party, they threw bombs and opened fire. The police returned the fire and in the encounter one extremist was killed. Others however, managed to escape.

Some time afterwards Shri S. N. Singh along with another officer was assigned a difficult task in the extremist infested area which he accomplished at great risk to his life.

On 2nd August, 1972, Shri Surendra Narain Singh was detailed with a raiding party to apprehend one extremist named Sripati Mahto who was wanted in about a dozen cases of dacoity, murder, loot, etc. The police party laid an ambush for the extremists but the later got suspicious and managed to escape. Shri S. N. Singh then proceeded with other members of his party to village Keshopur where the extremists had planned to assemble for committing a dacoity and murder. The police party were able to apprehend Sripati Mahto. When the police party was taking him by the National highway to Sakra Police Station about 20/25 extremists attacked them with a view to rescue the apprehended extremist. The extremists fired on the police. Sripati Mahto managed to get free from the policemen. Though outnumbered the policemen did not lose courage and they returned the firing. In the encounter Sripati Mahto was killed and some of his associates injured. A pipe gun, a few empty and live .12 bore cartridges were recovered.

Throughout these incidents Shri Surendra Narain Singh exhibited courage and gallantry of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd August, 1972.

K. BALACHANDRAN,
Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd June 1975

No. 5/25/74-CS(I).—In the corrigendum to the Rules for the Section Officers Grade Limited Departmental Competitive Examination, 1975, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, for the week ending March 29, 1975 (Chaitra 8, 1897), further Corrigendum is issued as under :—

1. Page 304, Col. 1, Para 1, line 3—
for "notification" *read* "notified"

2. Page 304, Col. 2, Note below 4 (i) line 7—
for the word "namey" *read* "namely".

T. K. SUBRAMANIAN,
Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 1st August 1975

NOTICE

SUBJECT :*Appointment of Valuers under Section 4(3) of the Estate Duty Act,* 1953.

F. No. 300/355/74-ED.—In supersession of all the previous notices issued by this Ministry regarding appointment of Valuers under section 4(3) of the Estate Duty Act, 1953, it is notified for general information that the Central Government proposes to appoint persons as valuers under section 4(3) of the Estate Duty Act, 1953, for different categories of assets and to fix a scale of charges for their remuneration.

2. Persons desiring to be appointed as approved Valuers must satisfy the conditions mentioned in Annexure I to this notice and should apply for appointment in the form prescribed in Annexure II.

3. No person shall qualify for appointment as an approved Valuer, other than as a Valuer of works of Art, if he is employed under Government or any other employer.

4. No person shall qualify for appointment as an approved Valuer, if,—

(a) he has been dismissed or removed from Government Service;

or

(b) he has been convicted of an offence connected with any proceeding under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) or a penalty has been imposed on him under clause (iii) of sub-section (1) of section 271, or clause (i) of section 273 of the Income-tax Act, 1961 or under clause (iii) of sub-section (1) of section 18 of the Wealth-tax Act, 1957 or under clause (iii) of sub-section (1) of section 17 of the Gift-tax Act, 1958; or

(c) he is an undischarged insolvent; or

(d) he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment or has been found guilty of misconduct in his professional capacity which, in the opinion of the Central Government, renders him unfit to be registered as a Valuer.

The requirement laid down in the Annexure I that the applicant should have, for a period of not less than five years,—

(i) rendered service in any capacity, or

(ii) taught any subject, or

(iii) practised any profession, or

(iv) gained experience in any other capacity or field, as specified therein, shall, be deemed to have been fulfilled if the period for which the applicant has rendered such service, taught such subject, practised such profession or otherwise gained experience in such other capacity or field, taken either singly or collectively, is not less than five years and the Central Government is of opinion that the applicant has acquired sufficient experience in the valuation of the class of assets of which he seeks to be approved as a valuer.

6. *Scale of Fees to be charged by the approved Valuer* :—Subject to the provisions of items (2) and (3) below the fees to be charged by an approved valuer for valuation of any asset shall not exceed the amount calculated at the following rates, namely :—

On the first Rs. 50,000 of the asset as valued.—½% of the valuc;
On the next Rs. 1 lakh of the asset as valued.—1% of the value;
On the balance of the asset as valued.—1/8% of the value.

(2) Where two or more assets are required to be valued by an approved valuer at the instance of an assessee, all such assets shall be deemed to constitute a single asset for the purposes of calculating the fees payable to such approved valuer.

(3) Where the amount of fees calculated in accordance with items (1) and (2) is less than Rs. 50, the approved valuer may charge Rs. 50/- as his fees.

V. D. WAKHARKAR,
Under Secy.

ANNEXURE—I

A valuer of immovable property (other than Agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries) shall have the following qualifications namely—

(i) he must either be a graduate in civil engineering, architecture or town planning of a recognised University or possess a qualification recognised as sufficient qualification for the purposes of recruitment to superior posts and services under the Central Government.

(ii) (A) he must be a person formerly employed—

(a) in a post under Government as a gazetted officer or

(b) in a post under any other employer carrying a remuneration of not less than Rs. 1,000 per month,

and, in either case, must have retired or resigned from such employment after having rendered service for not less than five years as a valuer, architect, or town planner, or in the field of construction of buildings, designing of structures or development of land; or

(c) as a professor, reader or lecturer in a University, college or any other Institution preparing students for a degree in civil engineering, architecture or town planning, or for an equivalent qualification referred to in clause (i), and must retired or resigned from such employment after having taught for not less than five years any of the subjects of valuation, quantity surveying, building construction, architecture, or town planning; or

(B) he must have been in practice as a consulting engineer, surveyor, or architect for a period of not less than five years and must have, in the opinion of the Central Government, acquired sufficient experience in any of the following fields :

(a) Valuation of buildings and urban lands;

(b) quantity surveying in building construction;

(c) architectural or structural designing of buildings or town planning; or

(d) construction of buildings or development of land.

(2) A valuer of agricultural lands [other than plantations referred to in sub-rule (3)] shall have the following qualifications, namely—

(i) he must be graduate in agricultural science of a recognised university and must have worked as a form valuer for a period of not less than five years; or

(ii) he must be a person formerly employed in a post under Government as a Collector, Deputy Collector, Settlement Officer, Land Valuation Officer, Superintendent of Land Records, Agricultural Officer, Registrar under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), or any other officer of equivalent rank performing similar functions and must have retired or resigned from such employment after having rendered service in any one or more of the posts aforesaid for an aggregate period of not less than five years.

(3) A valuer of coffee plantation, tea plantation, rubber plantation, or, as the case may be, cardamom plantation shall have the following qualifications, namely—

(i) he must have, for a period of not less than five years, owned, or acted as manager of, a coffee, tea, rubber, or, as the case may be, cardamom plantation having an area under plantation of not less than four hectares in the case of a cardamom plantation or forty hectares in the case of any other plantation; or

(ii) he must be a person formerly employed in a post under Government as a Collector, Deputy Collector, Settlement Officer, Land Valuation Officer, Superintendent of Land Records, Agricultural Officer, Registrar under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or any other officer of equivalent rank performing similar functions and must have retired or resigned from such employment after having rendered service in any one or more of the posts aforesaid for an aggregate period of not less than five years, out of which not less than three years, must have been in areas wherein coffee, tea, rubber or, as the case may be, cardamom, is extensively grown.

(4) A valuer of forests must be a person formerly employed in a post under Government and must have retired or resigned from such employment after having rendered service for not less than five years in a gazetted post requiring specialised knowledge in forestry.

(5) A valuer of mines and quarries shall have the following qualifications, namely—

(i) he must be a graduate in mining of a recognised University, or must possess a qualification recognised as sufficient qualification for the purposes of recruitment to superior posts and services under Government of India; and

(ii) he must be a person formerly employed—

(a) in a post under Government as a gazetted officer, or

(b) in a post under any other employer carrying a remunreration of not less than Rs. 1,000 per month,

and, in either case, must have retired or resigned from such employment after having rendered service as a mining engineer for not less than five years.

(6) A valuer of stocs, shares, debentures, securities shares in partnership firms and of business assets including goodwill but excluding those referred to in sub-section (1) to (5) and (7) to (10) shall have the following qualifications, namely—

(i) he must be a member of the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of Cost & Works Accountants of India or the Institute of Company, Secretaries of India; and

(ii) (A) he must have been in practice as a chartered accountant or a cost and works accountant for a period of not less than five years, or

(B) he must be a person formerly employed—

(a) in a post under Government as a gazetted officer, or

(b) in a post under any other employer carrying a remuneration of not less than Rs. 1,000 per month, or

(c) as a Company Secretary or an Assistant Company Secretary in a post carrying a remuneration of not less than Rs. 1,000 per month and must have retired or resigned from such employment after having rendered service for a period of not less than five years;

and, in either case, must have retired or resigned from such employment after having rendered service for a period of not less than five years in the field of audit and accounts or taxation work.

(7) A valuer of machinery and plant shall have the following qualifications, namely—

(i) he must either be a graduate in mechanical engineering or electrical engineering of a recognised university, or possess a qualification which is recognised as sufficient qualification for the purposes of recruitment to superior posts & services under the Central Government; and

(A) he must be a person formerly employed—

(a) in a post under Government as a gazetted officer, or

(b) in a post under any other employer carrying a remuneration of not less than Rs. 1,000 per month,

and, in either case, must have retired or resigned from such employment after having rendered service as a mechanical or electrical engineer for a period of not less than five years, or

(c) as a professor, reader or lecturer in a University, College or Institution preparing students for a degree in mechanical or electrical engineering or for an equivalent qualification referred to in clause (i), and must have retired or resigned from such employment after having taught for a period of not less than five years; or

(B) he must have been in practice as a consulting Engineer for a period of not less than five years and must have, in the opinion of the Central Government, acquired sufficient experience in the valuation of machinery and plant.

(8) A valuer of jewellery must have been, for a period of not less than five years, a sole proprietor or partner in a partnership firm carrying on jewellery business which has a turn over of not less than Rs. 1 lakh or profits not of less than Rs. 15,000 in two out of the three accounting years immediately preceding the year in which the application for appointment as an approved valuer is made by him.

(9) A valuer of works of art shall have the following qualifications, namely—

(i) he must have specialised by virtue of his academic and professional pursuits in the particular line of art, for the works of which he seeks to be registered as a valuer; and

(ii) he must have served in any one or more of the following capacities, namely—

(a) Director General or Superintending Archaeologist of the Archaeological Survey of India;

(b) Director of National Museum, New Delhi, Salar Jung Museum, Hyderabad, Prince of Wales Museum, Bombay, Indian Museum, Calcutta, Asutosh Museum, Calcutta, Madras Museum, Madras, or Bharat Kala Bhawan, Varanasi;

(c) Principal of a Government School of Art;

(d) member of the Art Purchase Committee of any of the Museum referred to in sub-clause (b), or of the Lalit Kala Akademi.

(10) A valuer of life interest, reversions and interest in expectancy shall have the following qualifications, namely—

(i) he must be a graduate of recognised University; and

(ii) (a) he must have been in practice as an actuary under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) for a period of not less than five years; or

(b) he must have rendered continuous service for a period of not less than five years as an actuary under Government or in the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Act, 1956 (31 of 1956); or

(c he must have practised as an actuary or served as such under Government or in the Life Insurance Corporation of India referred to in sub-clause (b) for an aggregate period of not less than five years.

ANNEXURE II

FORM OF APPLICATION

Application for appointment as a valuer under section 4(3) of the Estate Duty Act, 1953

To

The Secretary,
Central Board of Direct Taxes,
New Delhi

Sir,

I hereby apply for appointment as a valuer of——
*(Class of assets)

Under section 4(3) of the Estate Duty Act, 1953. The following particulars are furnished herewith :—

1. Name in full (Block letters)
2. Father's/Husband's Name
3. Permanent address
4. Present address :
   (i) Office
   (ii) Residence
5. Income-tax Permanent Account Number
6. Date of birth
7. Educational qualifications, including professional or technical qualifications (Enclose Attested copy of degree or diploma certificates)
8. If member of any professional or technical institution, give particulars
9. (a) Present occupation and since when

   (b) If a partner of a firm, name, address and business/profession of the firm (Date of joining the partnership to be indicated).
10. If already engaged in the profession or calling of a valuer, whether—
   (a) on your own behalf (since when)
   (b) in partnership with others (give name and address of other partners) (Date of joining the partnership to be indicated).
11. Date of commencement of practice as a valuer
12. (a) Give full details of your experience which qualifies you for appointment as valuer (Documentary evidence to be given)

    (b) A list of assets valued or works executed during the last three years should be enclosed
13. Whether you have been appointed as valuer under sections 34AB of the Wealth Tax Act, 1957 ? If so, give registration No. with File No. and date
14. Name, occupation and address of three persons (not being relatives or business partners) with whom you have had regular contact over the last five years (one of whom should preferably be a valuer) and of whom you authorise the Board to enquire regarding your reputation and character
15. (a) State if any liability towards income-tax, wealth-tax or gift-tax is outstanding against you
   (b) if so, whether satisfactory arrangements for payment thereof have been made
   (c) Attach Income Tax Clearance Certificate from the I.T.O. concerned.
16. Whether you have been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment? If so, give details of offence and sentence
17. Whether you have been found guilty of misconduct in your professional capacity ? If so, give details

I hereby declare that I am not disqualified from applying for appointment by reason of any of the provisions contained in clauses (a) to (d) of paragraph (4) of notification No. 300/355/74-E.D. dated 1st August 1975.

I further declare that I shall—

(a) Make an impartial and true valuation of any asset which I may be required to value;

(b) furnish the report of such valuation in the prescribed form;

(c) charge fees at a rate not exceeding the rate or rates prescribed by the Board in this behalf; and

(d) not undertake any valuation of any asset in which I have a direct or indirect interest.

(Signature of applicant)

VERIFICATION

I, ——————————, do declare :—

(Name in Block letters)

(i) That what is stated in the above application is true and corerct to the best of my knowledge and belief, and

(ii) that the copies sent herewith are the true copies.

(Signature of Applicant)

Place :
Date :

List of enclosures :

1.
2.
3.
4.
5.
etc.

NOTES :

*1. Please see Gazette Notification No.—————— dated——————.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPTT. OF IRRIGATION)

New Delhi, the 13th June 1975

RESOLUTION

No. 2(12)/74-MAT/MFE.—In the context of acute and continuing shortage of cement in the country, the question of examining the possibility of using lime in the construction industries has been engaging the attention of the Government for some time past. In order to examine in depth the problem of economy in the use of cement, the Government of India have decided to set up a committee consisting of the following :

Chairman :

1. Member (D&R), Central Water Commission, New Delhi.

Members :

2. Chief Engineer (FI&T), Central Water Commission, New Delhi.
3. Director, Cement Research Inst., M-10, South Extn. Pt. II, New Delhi or his nominee.
4. Sh. N. Macedo, Managing Director, Dyers Stone Lime Co. Pvt., 10, Alipur Road. Delhi or his nominee.
5. Shri S. P. Caprihan, Chief Engineer (Irrigation) Madhya Pradesh, or his nominee.
6. Shri S. B. Khare, Addl. Chief Engineer, Sharda Sahayak Project, U.P. or his nominee.
7. Shri Harbans Singh, Chief Engineer (Projects) Punjab, or his nominee.

Member-Secretary :

8. Director, CSMRS, Central Water Commission, New Delhi.

2. The Committee will study, examine and suggest different materials which can be used for Irrigation Projects in place of cement after taking into account the production, availability and economic feasibility of the materials to be recommended for use.

3. The Committee will submit the report within a period of three months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Deptts. of the Government of India, all State Governments/Administrations of Union Territories and the Chairman/Members of the Committee.

O. P. CHADHA, Jt. Secy.

New Delhi, the 26th June 1975

RESOLUTION

No. 7/3/73-FBP.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 7/3/73-FBP, dated the 17th March, 1975, re-constituting the Standing Committee of the Farakka Barrage Control Board, for the entry at S. No. 3 therein the following entries may be substituted :—

"3. Chairman, Calcutta Port Trust .. Member

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of West Bengal, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in these State Gazette for general information.

The 26th June 1975

RESOLUTION

No. 7/3/73-FBP.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 7/3/73-FBP, dated the 14th February, 1975, re-constituting the Farakka Barrage Control Board, for the entries at S. Nos. 8 and 12 therein, the following entries may be substituted :—

"8. Chairman, Calcutta Port Trust .. Member."

"12. Development Adviser, Ministry of Shipping and Transport. .. Member."

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of West Bengal, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in the State Gazette for general information.

S. N. GUPTA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 24th June 1975

ADDENDUM

No. 19-2/74-SD.—In partial modification of this Department Resolution No. 19-2/74-SD, dated the 21st November 1974, the following additions are made in para I thereof regarding composition of the Central Prohibition Committee :—

21.A. Minister Incharge of Prohibition Sikkim-Gangtok.

ORDER

ORDERED that a copy of this Addendum be communicated to all the members of the Central

Prohibition Committee; all the Ministries of the Government of India; the Planning Commission; the Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Secretariat; the Lok Sabha Secretariat; the Rajya Sabha Secretariat; the Department of Parliamentary Affairs; the All India Prohibition Council, and the Chief Secretaries of all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. BOARD)

New Delhi-110001, the 30th June 1975

No. 23/14/74-LI.—The President hereby directs that the following further amendment shall be made with immediate effect in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

In Note 3 below rule 19 of the said rules, for the abbreviation and figures "Rs. 2000", the abbreviation and figures "Rs. 4000" shall be substituted.

R. N. DEY, Dir.
Postal Life Insurance

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th June 1975

RESOLUTION

No. Hindi/73/G-28/2.—In partial modification of Ministry of Railways (Railway Board's) resolution number Hindi/73/G-28/2 dated 25-7-74 regarding reconstitution of Railway Hindi Salahakar Samiti, the Government of India hereby resolves to amend the composition of the Samiti as follows with retrospective effect :—

(a) The name of 'Shri Bheeshma Deo, Member, Lok Sabha" appearing at S. No. 3 should be read as Shri M. Bheeshma Deo, Member, Lok Sabha'.

(b) The address of Shri M. L. Dwivedi, ex-M.P. appearing at S. No. 21 as '9, Ferozshah Road, New Delhi' should be changed as 'C-18, North T. T. Nagar, Bhopal (M.P.),

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. LAL, Jt. Secy.,
Railway Board

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th June 1975

No. Q-16011/1/72-WE.—In this Ministry's Notification No. E&P. 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India, Part I, Section 1 dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, read with Notification No. Q-16011/3/71-WE, dated the 29th November, 1971 as amended by Notification No. Q-16011/1/72-WE dated the 22nd September, 1972, the words

"Shri N. P. Dube, Additional Secretary" shall

be substituted by the words

"Shri N. P. Dube, Secretary"

No. Q-16011/2/75-WE.—In the Ministry of Labour Notification No. E&P.4(24)/58 dated the 12th December, 1958 as amended by their Notification No WE-4/1/36/66 dated the 26th December, 1967.

for "10. Shri B. M. Sethi,
Senior Assistant Secretary,
All India Organisation of Industrial Employers, Federation House, New Delhi".

Substitute "10. Shri B. M. Sethi,
Secretary,

All India Organisation of Employers, Federation House, New Delhi."

The 7th July 1975

No. Q-16011/1/74-WE.—In the erstwhile Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P-4(24)/58 dated the 12th December, 1958 published in the Gazette of India, Part I, Section 1 dated December 20, 1958, as amended by the Ministry of Labour Notification No. Q-16011/1/74-WE dated the 2nd January, 1975, the words and figures,

"6. Shri Ramachandra Patra,
Secretary to the Government of Orissa, Labour, Employment and Housing Department, Bhubaneswar."

shall be substituted by the words and figures,

"6. Shri Sovan Kanungo, IAS
Secretary to the Government of Orissa,
Labour, Employment and Housing Department, Bhubaneswar."

J. C. SAXENA, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975